सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
संसदीय कार्य-सह
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक, 2061/मंत्री/को०
दिनांक, 29-08-18

माननीय मुख्य मंत्री,

राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य खरीफ विपणन मौसम 2011–12 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उपज का उचित एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराकर धान उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है।

2. इस योजना के तहत् अधिप्राप्त किये गये धान की मिलिंग कराकर उससे परिवर्तित चावल भारतीय खाद्य निगम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के गोदामों में जमा किया जाता है। झारखण्ड राज्य के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य केन्द्र सरकार पर निर्भर है।

3. झारखण्ड राज्य में धान का लगभग 51 लाख मे० टन उत्पादन होता है। राज्य की मिलिंग क्षमता लगभग 95 हजार मे० टन प्रति माह है। राज्य में राईस मिलों की संख्या कम होने से अधिप्राप्त किये गये धान की ससमय मिलिंग नहीं हो पाती है फलतः किसानों से अत्यन्त कम मात्रा में धान क्रय हो पाता है। मिलिंग क्षमता में अपेक्षित बढ़ोत्तरी करने से अधिप्राप्त किये गये धान की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है। अधिप्राप्त किये गये धान की मात्रा में वृद्धि होने से इसका लाभ किसानों को प्राप्त होगा।

4. इस योजना में राईस मिलों की अहम भूमिका है। राज्य अन्तर्गत कुल 24 जिलों में से निम्नलिखित 9 जिलों में एक भी राईस मिल नहीं है:–

i. सिमडेगा	iv. खूँटी	vii. गुमला
ii. गोड्डा	v. गढ़वा	viii. बोकारो
iii. चतरा	vi. लातेहार	ix. पश्चिमी सिंहभूम।

5. आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त जिलों में कम से कम एक–एक राईस मिल अधिष्ठापन कराने एवं राज्य में पूर्व से अधिष्ठापित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता में बढ़ोत्तरी कराने तथा राईस मिलों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति घोषित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि धान अधिप्राप्ति योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके।

सादर,

भवदीय,
[signature] 29.8.18
(सरयू राय)

सेवा में,
विभागीय (मुख्य) मंत्री,
उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2482455, फैक्स : 0651-2401023, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner